

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 29TH SEPTEMBER, 1995

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

New Delhi the 23rd September, 1995

CORRIGENDUM

S.O. (E) In the English version of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. S.O. 15(E), dated the 11th January, 1994 published in the Gazette of India, Extraordinary, part-II, section 3, sub-section (ii) dated 11th January, 1994:-

at Page 4, against serial number 12, in column (4) of the Table for "Rs.31.00 lakhs" read "Rs.32.00 lakhs."



(V.K. Sehgal)

Deputy Secretary to the Government of India

No. 9883

F.No. NC-25/92

भारत के राजपत्र असाधारण भाग II खण्ड 3 उपखण्ड II.1.1 में
दिनांक 29 सितम्बर, 1995 को प्रकाशित

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर, 1995

शुद्धि पत्र

कठौत 13। भारत के राजपत्र असाधारण भाग II खण्ड 3 उपखण्ड II.1.1 में
दिनांक 11 जनवरी, 1994 को प्रकाशित भारत सरकार वित्त मंत्रालय
[राजस्व विभाग] की दिनांक 11 जनवरी, 1994 की अधिसूचना सं० कठौत-
15 13। के अंग्रेजी स्थांतर में :-

*पृष्ठ 4 पर सारणी के कातम 14। क्रम सं० 12 के सामने 31.00 लाख रु
को 32.00 लाख रु पढ़ा जाए ।


[दी०के० सहमल]

उप सचिव, भारत सरकार

सं० 9883

फा०सं०-एन०सी०-25/92.